न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

रतनसिंह पिता नाथुसिंह, जाति– आंजना,
आयु– 42 साल, धंधा– कृषि,
निवासी– ग्राम देवराखेड़ी बुजुर्ग तह. व
जिला उज्जैन (म.प्र.) – आवेदक

–– विरूद्ध ––

बद्रीलाल पिता रूग्गाजी, जाति– बलाई,
आयु– 65 साल, धंधा – कृषि,
निवासी– ग्राम देवराखेड़ी बुजुर्ग तह. व
जिला उज्जैन (म.प्र.) – अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, रेस्पॉडेंट ने निगरानीकर्ता को परेशानकरने की की गरज से उक्त रास्ते का विवाद उत्पन्न किया है। सर्वे नंबर 31 में न तो कोई गाड़ी गडार का निशान है और न ही वहां पद रास्ता है। निगरानीकर्ता की भूमि सर्वे नंबर 37 पर वर्षों पुराने तार फैंसिंग की गई है और सर्वे नंबर 31 और 37 के दरमियान कभी भी कोई रास्ता रेस्पॉडेंट या अन्य किसी का कोई रास्ता नहीं रहा है।

यह कि, रेस्पॉडेंट का रास्ता गांव में घर से निकल करके दक्षिण दिशा की ओर होकर के सर्वे नंबर 47 के पूर्व दिशा के सेड़े पर होता हुआ सर्वे नंबर 39 पर पहुंचता है। यही उसका सुविधाजनक एवं छोटा रास्ता उपलब्ध है और इसी से वह परम्परा से कृषि कार्य करता चला आ रहा है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1170–दो / 2015 जिला उज्जैन

रतनसिंह विरूद्ध बद्रीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी खाचरौद जिला उज्जैन के प्रकरण कमांक 2 / अ–13 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 09–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ याचिका के अनुसार संक्षिप्त विवरण एवं तर्क इस प्रकार है कि विवादित भूमि पर अनावेदक ने तहसील न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के अन्तर्गत आवेदन पेश किया। अतिरिक्त तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण हेतु प्रकरण में पेशी दिनांक 27–9–14 नियत की। परन्तु उक्त दिनांक प्रकरण सुनवाई में नहीं लिया तथा पेशी दिनांक 28–9–14, 15–10–14 एवं 28–2–15 प्रवाचक द्वारा बढाई गई। उक्त पेशीयों पर किसी पक्षकार अथवा अभिभाषक के हस्ताक्षर नहीं है। दिनांक 9–3–15 बिना किसी पक्षकार एवं अभिभाषक के तर्क सुने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर सीधे अंतरिम रास्ता खोलने के आदेश दे दिये। जानकारी होने पर आवेदक ने दिनांक 20–5–15 को अंतरिम आदेश को स्थगित किये जाने के लिए धारा 52 का स्थगन आवेदन देने पर नायब तहसीलदार ने वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन लाने के लिए पेशी दिनांक 10–6–15 नियत कर दी। नायब तहसीलदार बार–बार प्रकरण को गिरदावरी में लेकर जो कार्यवाही की जा रही है और पुनः प्रकरण लंबित	

कर दिया जाता है, तहसील न्यायालय की यह कार्यवाही विधिसंगत नहीं होने से यइ निगरानी पेश की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के साथ संलग्न आदेश पत्रिकाओं की सत्यप्रतिलिपियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की है वह पक्षकार एवं उनके अभिभाषकों की अनुपस्थिति में मात्र पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर की गई, जिसे विधिसंगत नहीं कहा जा सकता। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 9–3–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे स्वयं उभय पक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने के उपरांत दोनों पक्षों को सुनकर दो माह के अन्दर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य